भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2796

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

यूजीसी द्वारा वित्तपोषण और संस्थागत स्वायत्तता

2796 **श्री पवन खेड़ा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वर्ष-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान यूजीसी द्वारा केंद्रीय, राज्य, मानद और निजी विश्वविद्यालयों को श्रेणी-वार कितना अनुदान राशि जारी किया गया है;
(ग) क्या सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदान राशि में आई कमी की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान यूजीसी की शक्तियों, स्वायत्तता और विनियामक कार्यों से संबंधित प्रमुख नीतिगत बदलाव क्या-क्या हैं, जिनमें कुलपति की नियुक्ति और उच्चतर शिक्षा अभिशासन शामिल हैं; और
(ङ) क्या यूजीसी में और सुधार किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
जारी की गई निधियां	13839.43	16859.87	19054.74	19770.47	20527.43
व्यय	13606.52	16080.55	18676.31	19742.07	20507.48

(ख) और (ग): वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान यूजीसी को जारी की गई कुल निधियों में से यूजीसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों को क्रमशः 73,148.65 करोड़ रुपये और 2,743.04 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, वर्ष 2013 में पात्र राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को निधियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ उच्चतर शिक्षा तक बड़े पैमाने पर पहुंच प्राप्त करना है। राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार

द्वारा आरयूएसए के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। सरकार ने जून 2023 में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में आरयूएसए का तीसरा चरण शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक छात्रावासों, शैक्षिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं के निर्माण सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएम-यूएसएचए/आरयूएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 (06.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार)**
जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	249.13	359.50	181.06	350.83	864.25	507.00

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के कार्यान्वयन के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को अपने आप में कोई विकास अनुदान प्रदान नहीं करता है। 12वीं योजना अवधि के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालयों को निधियां केवल पूर्व में स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के आधार पर निपटान हेतु जारी की हैं। इस व्यय के लिए, यूजीसी द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान कुल 931.44 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय, जो एक अंतर-राज्य निकाय कॉर्पोरेट है, को निर्धारित वेतन अनुदान के रूप में 1818.46 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी।

(घ) और (ङ): दिनांक 18 जुलाई, 2018 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018 में अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा और खेल निदेशकों की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम योग्यता का प्रावधान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करते हुए लेखा परीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने हेतु एक 'सरल लेकिन सुदृढ़' नियामक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को लोक सभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।
